>

Title: Regarding reported resignation by the Secretary-General of Hockey Federation.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही दुखद घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। एक बहुत ही घिनौनी खबर आई है कि हाकी फैडरेशन के जनरल सेक्रेटरी * द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया है।

MR. SPEAKER : Do not mention any name.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन पर पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप सामने आया है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : That is the allegation. यह आरोप है।

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER : We cannot pass judgement here. Let us not overreact.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): एलीगेशन ही शर्मनाक है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह जो आरोप लगाया गया है, उससे सारे देश की बदनामी हुई है और सारा देश शर्मसार हुआ है। यह ठीक है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यही काफी नहीं है। इस प्रकरण की जांच की जाए और अगर वह दोषी पाएं जाएं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिडिंग शुरू की जानी चाहिए, ताकि औरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि सरकार का यद्यपि इसमें सीधा दखल नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि हरेक फैडरेशन पर सरकार का एक ऑब्जर्वर होता है। सेलेक्शन कमेटी में अर्जुन एवार्डी की सरकार की ओर से उसकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद उसे सारी ट्रेनिंग दी जाती है। भारत सरकार की स्पोर्ट्स अथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा और चयन समिति के बाद उस सेक्रेटरी को बाहर भेजने के लिए सरकार ही कार्यवाही करती है। यह बहुत जरूरी है और सरकार का इसमें काफी दखल है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार और आईओए दोनों बैठकर मीटिंग करें। इस तरह की घटना की पुनरावृति न हो, इसकी जांच करें, ताकि कोई भी व्यक्ति सारे खेल जगत को

* Not recorded.

बदनाम न कर सके। आईओए द्वारा लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से दागी हो जाता है, उसके लिए खेल जगत में कोई स्थान नहीं है, उसे तुंत वहां से हटाया जाना चाहिए। इसलिए इस घटना की पूरी जांच के बाद सरकार आवश्यक कार्रवाई करे। सरकार और आईओए बैठकर इसकी जांच करें और कठोर कार्रवाई करें।

अध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ जी इसके साथ सहमत हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): हम भी हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपने-अपने नाम भेज दें।

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): मैं अपने को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): यह राष्ट्र की गरिमा का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, उसके लिए ही हमने अनुमति दी है।

श्री मोहन सिंह : पांच लाख रुपए की घूस ली और कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय: आज ही यह खबर आई है और आज ही नोटिस आया है।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता - उत्तर पूर्व): इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और लोगों को भी सबक मिल सके।

MR. SPEAKER : The observations of those hon. Members who are speaking without my permission are not being recorded.

*(Interruptions) â€¦**

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष जी, माननीय मल्होत्रा जी ने हाकी फैडरेशन के महासचिव के बारे में जो बातें यहां रखी हैं, वह अत्यंत गम्भीर मामला है। कोई भी देश अथवा किसी भी टीम का खिलाड़ी अगर कहीं खेलने जाता है तो वह इंडिविजुअल नहीं खेलता, अपने लिए नहीं खेलता, पूरे राष्ट्र के लिए खेलता है, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की हाकी में पिछले काफी समय से जो शर्मनाक हार हो रही है, जैसे एशियाड में हुई और आगामी ओलम्पिक के लिए तो हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए।[R11] राÂष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों में चयन की प्रक्रिया में जो रिश्वतखोरी की परम्परा आरम्भ हुई है, यह शर्मनाक है। कल की घटना से, हॉकी फैडरेशन ने जो एक काला अध्याय घूस और रिश्वत का अपने साथ जोड़ा है, यह राष्ट्रीय अपमान है जो राÂष्ट्रीय द्रोह के बराबर है। ऐसे लोगों पर राष्ट्र-द्रोह का मुकदमा चलाया जाना

* Not recorded.

चाहिए जो राष्ट्र के सम्मान को इस प्रकार से गिरवी रख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को अत्यंत गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। जब भी इस प्रकार के मामलों को हम लोग हल्केपन से लेते हैं, उसे केवल चर्चा का विषय बना लेते हैं, तो ऐसे लोग अपनी गलत गतिविधियों को लगातार जारी रखते हैं, जिससे राष्ट्र का अपमान होता है। हम आपके माध्यम से पुरजोर मांग करते हैं कि जो भी हॉकी फैडरेशन से जुड़े हुए दोषी लोग हैं, चाहे इस कार्यकाल के या पिछले कार्यकाल के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धनराज पिल्लै ने एक और आरोप लगाया है कि फेडरेशन के महासचिव ने सन् 2004 में रिश्वत लेकर, एक खिलाड़ी का चयन किया था जो कि एक अत्यन्त गंभीर मामला है। इसकी भी जांच होनी चाहिए और अन्य फैडरेशनों की कार्यप्रणाली पर भी एक बार चर्चा की जानी चाहिए और नजदीक से इन सभी पर निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

MR. SPEAKER: Md. Salim, please do not give a long speech.

MD. SALIM : Yes, Sir. The issue has already been mentioned. सर, हॉकी के साथ हमारी अपनी परम्परा जुड़ी हुई है। लेकिन केवल हॉकी का मामला नहीं है, ये फैडरेशन्स खेल के मैदान में राष्ट्रीय दल का चयन करती हैं लेकिन अंतर्राÂष्ट्रीय स्तर पर, खेल के लिए जब वे जाते हैं तो हमारी राÂष्ट्रीय भावना उससे जुड़ी रहती है। वहां पर क्या चल रहा है, इसे देखने के लिए सरकार का कोई कानून या अंकुश नहीं है। आप खेल मंत्री को यह निर्देश दें कि वे यहां आयें और बयान दें, खास करके हॉकी फैडरेशन के मामले में कि इस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष जी, विरोधी दल के उपनेता ने आज जिस प्रश्न को यहां उपस्थित किया है, मैं अपनी सहमति उनके साथ प्रकट करता हूं। यह बहुत ही दुखद स्थिति है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, उसके साथ इस तरह का मज़ाक किया जा रहा है। भारत की टीम पहले जब ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उस समय कह दिया कि ये सभी संगठन स्वायत्त और स्वतंत्र हैं, भारत सरकार का उसमें कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं हो सकता। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ने इस तरह का वक्तव्य देकर, गलत कामों को करने की पूरी स्वायत्तता इन संगठनों को दे दी है।

MR. SPEAKER: Nobody will accept it.

श्री मोहन सिंह : सरकार यदि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप रखने का अधिकार, आज की तारीख में नहीं रखती है तो सदन में एक विधेयक लाकर, खासतौर से भ्रÂष्टाचार और बदचलनी के जब आरोप लगें, तो उसमें हस्तक्षेप करने का सरकार को अधिकार होना चाहिए। इसी सदन ने, 5000 रुपये से 10000 रुपये की रिश्वत का स्टिंग ऑपरेशन होने पर, अपने ही साथियों को इस सदन से बाहर कर दिया था। पांच-पांच लाख रुपये के आरोप स्टिंग ऑपरेशन में आ गये और मैं कोई स्टिंग-ऑपरेशन का समर्थक नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमारा उस पर कोई हक नहीं है।

श्री मोहन सिंह : आपका उस पर हक हो या न हो, इस सदन ने सर्व-सम्मति से वह फैसला किया था।

अध्यक्ष महोदय : हम तो आपको एलाऊ कर रहे हैं।

श्री मोहन सिंह : तो ऐसे मामलों में भी इस सर्वोच्च संस्था को दखल देने का पूरा अधिकार है और ऐसे लोगों के खिलाफ, भारत सरकार को क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, यह मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन में भाजपा के उपनेता ने जो भावना व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का यदि अधिकार नहीं है तो यह सर्वोच्च सदन है और इस सदन से वे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। फैडरेशन में रिश्वत लेकर जिस तरह से राÂष्ट्रीय खेल की अहमियत को चोट पहुंचायी गयी है, उससे राÂष्ट्र का अपमान हुआ है। मैं सभी माननीय सदस्यों की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई कारगर कदम उठाना चाहिए। चाहे विधेयक के जरिये या किसी भी प्रकार से, सदन से हस्तक्षेप करने की शक्ति प्राप्त कर, सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विजय कुमार मल्होत्रा साहब ने जो भावना व्यक्त की हैं, मैं उनसे पूरी तरह से अपनी सहमति जताते हुए यह कहूंगा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और हॉकी पर हर हिंदुस्तानी को नाज रहा है लेकिन आज हॉकी की जो दुर्गत हुई है, उसका कारण आज साबित हुआ है कि रिश्वतखोरी की वजह से आज हॉकी इस मुकाम तक पहुंची है। इसलिए जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सके, इसमें दी जानी चाहिए। चाहे हमें अलग से कोई कानून बनाना पड़े तो भी सारा सदन सर्वसम्मति से ऐसा कानून बनाने के लिए तैयार होगा। राÂष्ट्रीय खेलों में पैसा कमाने की मानसिकता जिन लोगों में पैदा हो गयी है उन्हें चौराहों पर फांसी पर लटकाया जाए, ताकि कोई इस तरह से राÂष्ट्र की भावना के साथ खिलवाड़ न कर सके।[r12]

12.50 hrs.